

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 81/2019

तारीख रजू 30.12.2019

चतरू पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी किशनगढ छाहरा तह०खण्डार। ——— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ तह०खण्डार ————— रेस्प०

निर्णय

दिनांक 18/12/21

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बहराण्डा कलॉ द्वारा मिसल संख्या 51/2019 में पारित आदेश दिनांक 09.12.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम किशनगढ छाहरा के आराजी खसरा नम्बर 274/165, 275/165 रकवा 5.13 हैक्टर किस्म गैर मु०तलाई पर संवत् 2076 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जोत व धान की फसल पैदा करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प० की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलार्थी निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्प० की ओर से राजकीय पेटोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलार्थी आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। यह है कि अपीलार्थी का राजकीय भूमि खसरा नम्बर 274/165, 275/165 रकवा 5.13 हैक्टर वाके ग्राम किशनगढ छाहरा पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा अपीलार्थी का उक्त भूमि पर अतिक्रमण भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई तथा पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया मात्र पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत गलत रिपोर्ट को आधार बनाकर उक्त विवादित भूमि पर कब्जा नहीं होते हुए भी निर्माण विधि के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में मौके की जांच नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिचार के सम्बन्ध में कोई प्रलेखीय साक्ष्य नहीं होते हुये भी अपीलार्थी को पश्चातवर्ती मानते निर्णय पारित किया है जो अवैधानिक रूप



से गलत है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलाण्ट को स्वयं को तामील होने पर अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 22.10.19 को उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिया गया है मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में संलग्न नहीं होने के कथन से मैं सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/12/21 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

15
(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर